



# कार्यालय: जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पलामू

(जिला योजना शाखा)  
(नीति आयोग कोषांग)

email: chitvan@aspirationaldistricts.in

Office:06562-230859

## आवश्यक सूचना

Aspirational Districts अन्तर्गत Strengthening Micro Irrigation In 500 acres land के तहत ड्रिप, सिप्रिंकलर एवं सोलर पम्प का अधिष्ठापन कर किसानों को सामान्य एवं व्यवसायिक फसलों का उत्पादन कर जीविकोपार्जन के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाया जाना है।

उल्लेखनीय है कि कृषि द्वारा व्यवसायिक फसलों यथा स्ट्राबेरी बेबीकोर्न ड्रैगन फ्रूट शिमला मिर्च खरबूज तरबूज ब्रोकली (हरा फूलगोभी) आदि का उत्पादन चंक्रवार 30-50 एकड़ में किया जाना है।

इच्छुक किसानों के समूह को सोलर मोटर पम्प में 30 प्रतिशत अंशदान की राशि का बैंक ड्राफ्ट समर्पित करना होगा। प्रति किसान प्रति 5.00 एकड़ भूमि पर ड्रिप, सिप्रिंकलर, डीप बोरिंग एवं 5-एच0पी0 सोलर पम्प किसानों के समूह को उपलब्ध कराया जायेगा। "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किसान समूह का चयन किया जायेगा।

अतः इस जिला के सभी किसान समूहों से अनुरोध है कि जैसे इच्छुक किसान समूह जो अपने 30-50 एकड़ कृषि भूमि पर व्यवसायिक फसलों का उत्पादन कर जीविकोपार्जन के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ होना चाहते हैं, सामूहिक रूप से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, शपथ पत्र, भूमि का रसीद एवं बैंक ड्राफ्ट के रूप में अंशदान की राशि दिनांक 20.01.2021 तक निश्चित रूप से नीति आयोग कोषांग (जिला योजना कार्यालय), पलामू में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

आवेदन पत्र, शपथ पत्र, अंशदान की राशि आदि की विशेष जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में श्री रमण कुमार, सहायक योजना पदाधिकारी(प्रशिक्षु), जिला योजना कार्यालय, पलामू (सम्पर्क न0-8987884532) से सम्पर्क किया जा सकता है।

ज्ञापांक.....15...../जियो0,दिनांक 06/01/2021 उपायुक्त, पलामू।

- प्रतिलिपि :- जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। साफ्ट एवं हार्ड प्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। हार्ड प्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश है कि इसे पलामू जिला के अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- श्री रमण कुमार, सहायक योजना पदाधिकारी(प्रशिक्षु), पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, पलामू।